(1) 196

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /2017 निगरानी R560 I-17

1. हीरा यादव तनय श्री देवी यादव .
2. द्वारका यादव तनय श्री देवी यादव दोनों निवासीगण– ग्राम पहाड़ी तिलवारन, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....अनावेदक

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 6-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 16/अ–12/11-12

महोदय,

आवेदकगण की ओर निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है –

<u>प्रकरण के तथ्य</u> :–

1. यहकि, महिला फूलादेवी पत्नी करन सिंह द्वारा तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 126/2 , 127 रकवा 0.686 , 0. 263 एवं सर्वे नं. 128/3 स्थित ग्राम सांवत नगर का सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध तरीके से घर बैठकर सीमांकन कार्यवाही कर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदकों को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 26.07.2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

<u>निगरानी का आधार</u> :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के

Xxxix(a)-BR(h)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 560–एक/2017 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्त
14-2–17	यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 16/ अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26–7–12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष ग्राम सावंतनगर की भूमि सर्वे कमांक 126/2, 127, 263 एंव 128/3 के सीमांकन का आवेदन दिया गया था, किन्तु राजस्व निरीक्षक ने मौके पर न जाकर एंव पड़ौसी कृषकों को सूचना न देते हुये सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी एंव आवेदक की 0.160 हैक्टर भूमि अन्य की बता दी, जिससे मौके पर झगढ़ा होने का अंदेशा हो गया है। सीमांकन रिपोर्ट पर सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 26–7–12 गलत ढंग से पारित किया है इसलिये सीमांकन राजपत्रित अधिकारी से कराया जाय। 4/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 16/ अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26–7–12 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने निगरानी दिनांक 10–2–17 को प्रस्तुत की है जो अवधि वाह्य है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान	

की धारा-5 के तथ्यों से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी ने सीमांकन करने की तिथि की व्यक्तिगत सूचना आवेदकगण को नहीं दी है जिसके कारण उन्हें सीमांकन की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी एंव जब धारा 250 का नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ, तब सीमांकन की जानकारी होना परिलक्षित है इस प्रकार राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी व्दारा किया गया सीमांकन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है क्योंकि जब आवेदकगण मेढ़िया कास्तकार है उन्हें सूचना देना अनिवार्य है । तहसीलदार टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 26-7-12 पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया है, जिसके कारण सीमांकन कार्यवाही एंव उस पर से तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-7-12 दोषपूर्ण है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 16/ अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26-7-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि वह वादग्रस्त भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये परिमाप मशीन के व्दारा कराये तथा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य